NITIN GOEL
Advocate
Regn. No. 5123/05
47, Teen Shade, Civil Court
Meerut, Mob.: 9917000868

न्यायालय सिविल जज (सीनियर मेरठ)

वाद संख्या 104 सन 2019

जाहिद बनाम मौ. इरफान व अन्य

कोर्ट फी 5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी 5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ

-9 JAN 2020

6-1-20

-9 JAN 2020

-9 JAN 2020

06

-6 JAN 2020

पृ० क
1

उच्च न्या० प्ररूप सं० 69, भाग सं० IV

अपील में आज्ञप्ति

(आदेश 41, नियम 35)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या – 10, मेरठ स्थान मेरठ जिला मेरठ

मूलवाद संख्या 104 सन् 2019 ई०

2019 ई० के 05 के 25 दिवस की तारीख वाली सिविल जज सी०डी० न्यायालय मेरठ।

की आज्ञप्ति की अपील संख्या 128 सन् 2019 ई०

श्री आदिनाथ स्टेट डवलपर्स एक पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर श्री आशीष जैन पुत्र स्व० श्री सुभाष चन्द जैन निवासी – 61 शिवाजी रोड, मेरठ।

.....वादी/ अपीलार्थी।

अपील का ज्ञापन

1. श्री योगेश कुमार त्यागी उम्र नामालूम पुत्र श्री रामसिंह त्यागी
2. श्रीमति अंजू त्यागी उम्र नामालूम पत्नी श्री योगेश कुमार त्यागी

निवासीगण – अनुयोगीपुरम महरौड़, मेरठ।

.....प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण वादी

अपील क मूल्यांक – 12,00,000/-रु०
न्यायशुल्क – 7,00/-रु०,

प्रतिवादी

टिप्पणी–जो पते ऊपर दिये गये हैं वह पक्षकारों में को छोड़कर जो उपस्थित नहीं हुए तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

उपरिनामांकित O.S. 104/19 उक्त वाद में की 20 ई० के C.A. 128/19 के

दिवस की तारीख वाली 25-05-2019 की आज्ञप्ति की अपील सिविल जज सी०डी० मेरठ।

इस न्यायालय में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्– – अपील के आधार

1 क्योंकि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2019 में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतापत्र दिनांक 14.05.2019 को तस्दीक करके वाद को समझौते के आधार पर डिक्री करते हुये निम्न ऑब्जरवेशन दी है – "चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति, जिसका विवरण वादपत्र में वर्णित है, में वादी का कोई हित पूर्व से निहित अथवा अस्तित्व में नहीं रहा है वरन् संधि पत्र 32 क के माध्यम से उक्त सम्पत्ति के बावत वादी के पक्ष में स्वत्वाधिकार का सृजन हो रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति का अन्तरण है। कन्टीन्यू पे. नेक्स्ट।

यह अपील 2019 ई0 के 012 के 18 दिवस की अपीलार्थी के लिए श्री शरद जैन एड० की ओर प्रत्युत्तरदाता के लिये श्री राहुल शर्मा एड० की उपस्थिति में श्रीमती स्नेहलता सिंह, A. D. J. 10 Mrt. के समक्ष सुनवाई के लिए पेश होने पर वह आदिष्ट किया जाता है कि–

आदेश

सिविल अपील सं० – 128/2019 स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.5.19 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि मूल वाद सं० – 104/2019 सन्धिपत्र 32 ग के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सन्धिपत्र निर्णय व आज्ञप्ति का अंश होगा। आदेश का शेष भाग निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

इस अपील के खर्चे, जिनमा ब्यौरा नीचे दिया गया है, और जो — रुपये होते हैं द्वारा दिये जाने हैं। मूलवाद के खर्च द्वारा — दिए जाने हैं।

(मुहर: Addl District & Sessions ...)

आज दिनांक 09 माह 01 सन् 2020, ई0 को गेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित दी गई।

(हस्ताक्षर) 09.01.20

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या – 10, मेरठ
09/01/20, न्यायाधीश

अतएवं प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में संधि पत्र के आधार पर पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति प्रचलित पंजीयन विधि के अन्तर्गत विधिनुसार पंजीयन उपरान्त प्रभावी माना जायेगा अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था भूपसिंह बनाम राम सिंह मेजर, AIR 1996 SC
196 के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क अदा करने के उपरान्त ही विवादित सम्पत्ति / भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार का सृजन होगा

2nd. Cant

५० की
2

अपील के खर्चे

अपीलार्थी	रकम		प्रत्युत्तरदाता	रकम	
	रु०	पै०	द	रु०	पै०
1–अपील के ज्ञापन के लिए मुद्रांक	1320.		शक्ति पत्र के लिए मुद्रांक	02	
2–शक्ति पत्र के लिए मुद्रांक	02		याचिका के लिए मुद्रांक	—	
3–आदेशिकाओं की तामील ५० पत्र	18		आदेशिकाओं की तामील	—	
4–रुपये पर अभिवक्ता की फीस	—		.... रुपये अभिवक्ता की फीस	—	
5- शपथ पत्र	20		शपत्र पत्र	30	
6- तलवाना	05				
7- नकूलात	04				
जोड़ ..	1369	00	जोड़ ..	32	00

मुन्सरिम के हस्ताक्षर
08/01/20

जिला एवं सत्र न्यायालय मेरठ

प्रत्युत्तरदाता के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०) 06 एच०सी०जे०–28–8–12–2,00,000 प्रपत्र (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

COPY XEROXED & COMPARED
WORDS COUNT
CIVIL COURT MEERUT

680 SKS

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
जजी, मेरठ

9 JAN 2020